प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :— जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम :-टोट्रार्स (अम्डामा) तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद—रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.6300 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0700 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.0450 हे0 आरक्षित भूमि मलवा निस्तारण) अर्थात कुल 0.7450 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत किया है। द्वारा दिनांक 21 61 8 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदितं वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम — (१) प्रेली — के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / – ग्राम सचिव मानं पंचायत विकास अधिकारी

नोट :—यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :— जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

दिनांक 24/01/18...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लल्डि क्यार्गिक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ	हस्ताक्षर
_	ग्रामवासियों के नाम	
0	र्यम स्वाहा जोहारी	12
(2)	मित्य प्राची किश्री	45.3.8419
(3)	लारवा राम् काहार)	A16/2827
(4)	राम वाल काहरा	212019
(5)	द्वारका समाद कारारा	- EROI
(E)	chicron on each	(6)19201
(4)	मर्था की हारी	11/21
Ø	3नानन्द काढारी	73011नत्
(4)	HAMMON DICKT	- न्यानवामवर्ष
(19	211 all clied	211 of all of
	िविव समिद् कादारी	1310 maria 0)81
(12)	जिताधन नमाद छ। दारी	CHAIRT HAID
(13)	(सरोमहों) छ।होरों	Reginal
(14)	3021 and,	नार्केशलाली

संलग्न है।



परियोजना का नाम :— जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0 (0.6300 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0700 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.0450 हे0 आरक्षित भूमि मलवा निस्तारण) अर्थात कुल 0. 7450 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखोली) की दिनांक — अन्तर्गित को सम्पन्न बठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **दिन मिल्टि**, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्कों की उपस्थिति निम्नानसार है।

माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है। 1- श्री किया - अध्य

2— श्री **विश्वास** सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सहिय / सचिव

4— श्रीकृति विश्वी विश्वी विश्व क्षेत्र के प्रति विश्व के प्रति विश्व के व

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु 0.7450 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्त्रीय वन अधिकार समिति तहसील जिलानी जनपद रुद्रप्रयाग। (श्रामता सरिता देवी) शित्र पंचायत सदस्य ललूडी नित्र ख0 जस्तोली(रुद्रप्रयोग

महाराज समाज कल्याल

वकास खण्ड जखीली अनपद रुद्रप्रयाग

St. Haraffel Collada Harlas

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Rudraprayag

No 48

Dated_____ | 9 | 18

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.7450 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Provincial Division P.W.D. Rudraprayag (name of user agency) for Construction of Jakhani to Tendwalgaon Motor Road under District Sector (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Tendalwalgaon village (s) in Jakholi tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)



Page No... 9.(A)...
ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

> Mangesh Ghildiyal (I.A.S.) District Magistrate-cum-Chairman, District Level Committe, Rudraprayag

> > जिलाधिकारी अवस्थाप